डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 129/2026 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
रोशनी पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी किकरालिया तहसील रावतसर।

–वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
2. कौशल्या पत्नि सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी किकरालिया तहसील रावतसर।

–प्रतिवादी

उपस्थितः– श्री अनिल सिहाग वकील–वादीया
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 1
श्री श्रवणकुमार वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक– 24/3/2026

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकरालिया बारानी के खसरा नम्बर 570/431 व 569/431 के गलत नक्शा को दूरूस्त नजरी नक्शा के अनुसार खसरा नम्बर 570/431 के स्थान पर 569/431 व खसरा नम्बर 569/431 के स्थान पर 570/431 की कृषि भूमि दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24/3/2026 ...को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.04.01 10:57:35 IST
Reason: SelfAttested